



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 1361-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2018-4(13)मा०सं०-01/2011

दिनांक : 21, अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा-2011 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-13, गढ़मुक्तेश्वर के कार्यालय में 'सहायक अभियन्ता (सिविल)', सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री प्रमोद (वि०उ०नि०लि०/2012106), सहायक अभियन्ता (जानपद) द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की सेवाओं से स्वेच्छा से दिया गया निःशर्त त्यागपत्र दिनांक 20.02.2017 से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :-

- 1- निगम की सेवाओं से त्याग-पत्र के पश्चात् निगम की सेवाओं में श्री प्रमोद का कोई धारणाधिकार अथवा हक नहीं रहेगा।
- 2- चूँकि निगम की सेवाएँ पेंशनरी नहीं हैं, अतः त्यागपत्र पर श्री प्रमोद को निगम से कोई पेंशन अनुमन्य न होगी।
- 3- नये सेवायोजक के अधीन सेवा नैवृत्तिक लाभों के सन्दर्भ में निगम की सेवाओं को जोड़ने की स्थिति में उत्पादन निगम द्वारा किसी पेंशनरी अंशदान/अभिदान/प्रो रेटा ग्रेच्युटी आदि का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
- 4- श्री प्रमोद ने निगम में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित किया था कि वह प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके 05 वर्षों बाद तक निगम की सेवा करेंगे अन्यथा निगम को ₹ 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) का भुगतान करेंगे। श्री प्रमोद को ₹ 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) जमा करने से इस स्पष्ट शर्त के साथ छूट दी गई है कि वह अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-13, गढ़मुक्तेश्वर के कार्यालय में 'सहायक अभियन्ता (सिविल)', सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के पद पर को पर अपना कार्यभार दिनांक 21.02.2017 को कर लिया है, अतः यदि निगम को यह पता चलता है कि उन्होंने उक्त पद की सेवा ज्वाँइन करके छोड़ दी है, तो उनसे बाण्ड मनी ₹ 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) की वसूली हेतु विधिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1361(1)मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2018-तददिनांक :-


पंजीकृत

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- मुख्य अभियन्ता, हरदुआगंज तटीय विद्युत परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, कासिमपुर (अलीगढ़) को इस आशय से प्रेषित कि श्री प्रमोद (वि०उ०नि०लि०/2012106), सहायक अभियन्ता (जानपद) (त्यागपत्रित) को कार्यमुक्त करने से पूर्व अवशेष देयों, यदि कोई हो, की वसूली सुनिश्चित कर ली जाय।
 - 2- अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 - 3- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

कमशः 2/-

- 4- कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010.
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी, हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, कासिमपुर (अलीगढ़)।
- 8- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (डेटाबेस), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- अनुभाग अधिकारी (मा०सं०-06), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, सिंचाई भवन, लखनऊ (उ० प्र०) को उनके पत्र सं० 551/ई-2/ पी०एफ०, दिनांक 19.02.2018 के सन्दर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि श्री प्रमोद (वि०उ०नि०लि०/2012106), सहायक अभियन्ता (जानपद) (त्यागपत्रित), अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-13, गढ़मुक्तेश्वर के कार्यालय में सहायक अभियन्ता (सिविल), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के पद पर ज्वाइन करके छोड़ दी है, तो उसकी सूचना उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० को देने का कष्ट करें।
- 13- श्री प्रमोद (वि०उ०नि०लि०/2012106), सहायक अभियन्ता (जानपद) (त्यागपत्रित), पुत्र-श्री शिव सिंह, ग्राम-लालपुर, पो०-चन्दपुर कलां, मथुरा-281201(उ०प्र०)।
- 14- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

पंजीकृत

आज्ञा से,

21.4.18
(निखिल चतुर्वेदी)
अधिशासी अभियन्ता(मा०सं०-01)